न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नगीना बनाम गंगाधर वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 503/2025 (नसीराबाद)

	श्री सुखदेव चौधरी/नवीन गुर्जर	
27.10.2025	नगीना बनाम गंगाधर वगैरह (2025/503) यह अपील श्री सुखदेव चौधरी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 156/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील वाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात विक्रेता/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा 13,7000/– रूपये में दिनांक 27.08.2025 को क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया है तब से ही प्रार्थीया उक्त भूमि पर लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु उक्त आराजी में रहन दर्ज होने से पंजीकृत विक्रय पत्र की अधिकार अभिलेख में पालना नहीं होने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हो गयी जिसको विक्रय पत्र के अनुसार पुनः उक्त भूमि का प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे। साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज कर स्थगन का कोई ठोस कारण नहीं मानते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि को पुनः अन्यत्र रहन, बय, बेचान एवं खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को पाबंद किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील मिमों एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी/अपीलांट की बहस सुनी जाकर स्थगन जारी नहीं किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेशकीगई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य सद्भाविक कृषि भूमि संबंधी वाद विद्यमान है, जिसमें अपीलांट के हक अधिकार तय होने है, किन्तु वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने एवं वादग्रस्त आराजीयात को वाद के विचाराधीन रहते हुए संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अपीलांट के कथनानुसार वह वादग्रस्त आराजीयात का जरिये पंजीकृत बेचाननामा सदभाविक क्रेता है किन्तु वादग्रस्त आरजीयात को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दुरभिसंधि पूर्वक रहन दर्ज करवाई गई है यदि स्थगन जारी नहीं किया जाता है तो उन्हे अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, जिसमें उभयपक्ष के	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार....

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नगीना बनाम गंगाधर वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 503/2025 (नसीराबाद)

श्री सुखदेव / नवीन उपस्थित

लगातार- - -

हक अधिकार तय होंगे। वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात के खुर्द बुर्द, हस्तांतरण होने की संभावना बनी रहती है अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों पर विश्वास जताते हुए प्रार्थना पत्र स्थगन पर बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलबी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से दो माह में करें।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल भूत तीनो बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत रूप से उल्लेख कर प्रार्थना पत्र का दो माह में गुणावगुण पर आवश्यक रूप से निस्तारित करें तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अंतिम निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Scanned with CamScanner

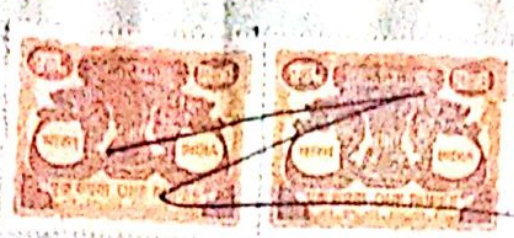

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय,

अजमेर (राज0)

अपील संख्या 503/2025

503/2025

(27/10/25)

नगिता भानावत पत्नि योगेश भानावत जाति सांसी निवासी सांसी बस्ती ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

अपीलार्थीया

बनाम

1. गंगाधर पुत्र मादूदास जाति साद निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. दी मैनेजर, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिऐ विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्धं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2025 उनवान नगिता बनाम गंगाधर प्रकरण संख्या 156/2025 के विरूद्ध बाबत्

श्रीमानजी ,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थीया की ओर निम्न निवेदन है कि:–

1. यह कि अधीनरस्त न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया की ओर से एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत किया जिसके साथ में एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप्त

नगीता भानावत